International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

अनुसूचित जनजातियों में खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन – नारायणपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. एल. आर. सिन्हा[1], निलिमा निर्मलकर[2]

[1]सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
[2]शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, भानुप्रतापदेव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

शोध सार
छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों में खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 ,एक महत्वपूर्ण योजना है | जो खाद्य सुरक्षा को निरंतर सुरक्षा प्रदान करता है ,यह भारत का पहला राज्य है ,जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ गरीबी से उबर कर सामने आया है| क्योंकि मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं आवास, वस्त्र एवं भोजन तीनों की आपूर्ति व्यापक मुद्दा है | निम्न आर्थिक स्थिति के कारण वर्तमान में इन तीनों का आपूर्ति कर पाना अत्यंत कठिन कार्य फिर भी सरकार की ओर से एक छोटा सा प्रयास किया गया है | सरकार के इस कदम में मूलभूत आवश्यकताओं में से यदि किसी एक का बोझ कम होता है तो गरीबी परिवारों का आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर में सुधार देखा जा सकता है | खाद्य और पोषण सुरक्षा तब तक अधूरी है जब तक लोगों को पौष्टिक भोजन निरंतर उपलब्ध न हो |लोगों को निरंतर पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि अनाज की कीमतों में उतार-चढ़ाव ,संघर्ष या महामारी जैसे बाहरी जोखिमों के प्रभाव को कम कर इसे हर वक्त लोगों ,खासकर समाज के कमजोर तबको के लोगों की पहुंच के भीतर बनाए रखा जाए | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई)की शुरुआत 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभान्वित करने के लिए 1 जनवरी, 2023 से की गई | इस योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)और प्राथमिक घरेलू (पीएचएच) लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न सहायता प्रदान की जाएगी | पीएमजीकेएवाई गरीबों तक खाद्यान्न की पहुंच ,वहनीयता और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी |इससे देश में खाद्य और पोषण सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी |खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विषय शिविर लगाकर ,टेलीविजन एवं रेडियो के साथ ही साथ इंटरनेट जैसे साधनों के प्रयोग में जागरूकता आई है |अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा हेतु वितरित किए जाने वाले सामग्रियों की मात्रा एवं गुणवत्ता में पारदर्शिता से इस योजना के समुचित।क्रियाओ का वर्णन से निम्न वर्ग में गरीबी अपेक्षाकृत कम एवं आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है |पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या, कार्य प्रणाली संचालको में भिन्नता (यथा _स्व सहायता समूह ,वन सुरक्षा समूह, सहकारी समितियां)आदि में निरंतर सुधार से नारायणपुर में खाद्य सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण का एक नया मार्ग प्रशक्त हुआ है |साथ ही महिलाओं ,बच्चों तथा किशोरियों कि कुपोषण में कमी देखा गया है |

मुख्य शब्द: अनुसूचित जनजातियों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, पोषण स्तर, कुपोषण, जीवन स्तर,महिला सशक्तिकरण ,गरीबी उन्मूलन.

प्रस्तावना:

भारत विश्व के उन देशों में से एक है जहाँ खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ, सम्मानजनक और उत्पादक जीवन का मूल आधार है। किसी भी राष्ट्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास तभी संभव है जब उसके नागरिकों को पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो। भारतीय संविधान भी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की अवधारणा को बढ़ावा देता है तथा राज्य को नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन-स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा संबंधी विभिन्न योजनाएँ एवं कानून लागू किए गए, जिनका लक्ष्य समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक खाद्यान्न एवं पोषण सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना है।

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक वंचित समुदायों में शामिल हैं। इनकी आजीविका मुख्यतः कृषि, वनोपज, प्राकृतिक संसाधनों तथा पारंपरिक व्यवसायों पर आधारित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा संचार सुविधाओं की कमी, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ और सीमित आय के कारण जनजातीय समुदायों में खाद्य एवं पोषण असुरक्षा की समस्या अधिक गंभीर रूप में दिखाई देती है। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में कुपोषण, रक्ताल्पता (एनीमिया) तथा अल्पपोषण जैसी समस्याएँ आज भी चुनौती बनी हुई हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य ने गरीब एवं कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य पात्र परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को कानूनी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से राज्य सरकार ने गरीब परिवारों, महिलाओं, बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया है।

प्रदेश के गरीब और जरूरतमंदों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने तथा पात्रतानुसार आसान सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लागू होने के पूर्व छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम ,2012 राज्य में लागू किया गया है | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 55.38 लाख परिवारों को अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्ड जारी किया गया है ,जिसमें लगभग 2 करोड़ सदस्य दर्ज है, जिन्हें 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह के मान से खाद्यान्न की पात्रता निर्धारित की गई है ।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अंतर्गत चावल की उपभोक्ता दर 3 प्रति किलो है, जबकि राज्य की खाद्य सुरक्षा कानून में अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले 70.53 लाख परिवारों को 1 प्रति किलो की दर से तथा सार्वभौमिक पीडीएस की अंतर्गत सामान्य परिवार वालों को 8.58 लाख परिवारों को 10 प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जा रहा है |

नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख आदिवासी बहुल जिला है, जहाँ गोंड, माड़िया, मुरिया, अबूझमाड़िया सहित अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। जिले की भौगोलिक विषमता, वन क्षेत्र की अधिकता, सीमित परिवहन सुविधाएँ तथा सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी सेवाएँ, मध्यान्ह भोजन योजना तथा अन्य पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से जनजातीय परिवारों तक खाद्यान्न एवं पोषण सेवाएँ पहुँचाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य नारायणपुर जिले के अनुसूचित जनजाति परिवारों के संदर्भ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन, प्रभावशीलता, उपलब्धियों तथा चुनौतियों का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन यह जानने

का प्रयास करेगा कि अधिनियम के लागू होने के बाद जनजातीय परिवारों की खाद्यान्न उपलब्धता, पोषण स्थिति, स्वास्थ्य स्तर तथा जीवन-गुणवत्ता में किस सीमा तक सुधार हुआ है। साथ ही, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक, सामाजिक एवं भौगोलिक बाधाओं का भी विश्लेषण किया जाएगा।

यह अध्ययन न केवल जनजातीय समुदायों की वास्तविक स्थिति को समझने में सहायक होगा, बल्कि नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भी ऐसी नीतियाँ एवं सुझाव प्रदान करेगा, जिनके माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। इस प्रकार यह जनजातीय विकास, खाद्य अधिकार तथा समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान सिद्ध होगा। विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियाँ सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टि से वंचित वर्गों में शामिल हैं। इन समुदायों का जीवन मुख्यतः वन संसाधनों, वर्षा आधारित कृषि तथा पारंपरिक आजीविका पर निर्भर है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियाँ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता, गरीबी, बेरोजगारी तथा आधारभूत सुविधाओं का अभाव इनके जीवन स्तर को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप कुपोषण, अल्पपोषण, एनीमिया तथा खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याएँ आज भी जनजातीय क्षेत्रों में गंभीर रूप से विद्यमान हैं।

भोजन केवल जीवन-निर्वाह का साधन नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक उत्पादकता का आधार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के गरीब, वंचित एवं अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस अधिनियम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया तथा पात्र परिवारों तक खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने की व्यवस्था की

छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, और नारायणपुर_ नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख आदिवासी जिला है जहां खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 की महत्वपूर्ण भूमिका है ।क्योंकि नारायणपुर जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है इसकी अधिकांश आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है ,इसलिए यह अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है । खाद्य सुरक्षा का प्रेरणायन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ सरकार की इस राज्य स्तरीय अधिनियम के माध्यम से किया जाता है इसके प्रमुख संदर्भ और प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित है-

1. अनुसूचित जनजातीय समूह के लिए व्यापक कवरेज_

- **उद्देश्य** _छत्तीसगढ़ अधिनियम 2012 का उद्देश्य राज्य की लगभग 90% आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है ।जो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की कवरेज से भी अधिक व्यापक है ।
- **अंत्योदय परिवार_** यह अधिनियम विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूह, जिसमें जनजातीय समूह भी शामिल है की पहचान "अंत्योदय परिवार" के रूप में करता है । नारायणपुर में अधिकांश गरीब और सुदूर क्षेत्र की अनुसूचित जनजातीय परिवारों को इसी श्रेणी में शामिल किया जाता है ।
- **पात्रता का आधार_** इस अधिनियम के तहत ,भूमिहीन कृषि मजदूर और असंगठित क्षेत्र की श्रमिक परिवारों को भी प्राथमिकता वाले परिवारों में शामिल किया गया है ,जिसका सीधा लाभ जिले की अधिकांश अनुसूचित जनजाति आबादी को मिलता है ।

2. विशिष्ट पात्रता एवं प्रावधान _ नारायणपुर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का यह अधिनियम निम्नलिखित विशिष्ट पत्रताएं प्रदान करता है_

- **सस्ती दर पर खाद्यान्न_** राशन कार्ड धारको (जिसमें अंत्योदय और प्राथमिकता परिवार शामिल है)को निर्धारित

- मात्रा में चावल, गेहूं ,शक्कर, चना ,गुड़ और नमक अत्यंत कम और सब्सिडी वाली दरों पर उपलब्ध कराया जाता है ।
- **पोषण संबंधी सहायता_** मातृ एवं शिशु पोषण गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओ को स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से नि:शुल्क पोषण आधार और 6000 से कम नगद सहायता मातृत्व सहायता का अधिकार है ।
- **बच्चों के लिए पोषण_** 6 माह से 6 वर्ष तक की बच्चों को आंगनबाड़ी के माध्यम से तथा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की बच्चों को सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी नि:शुल्क में मध्यान भोजन का अधिकार है ।यह प्रावधान नारायणपुर जैसे जिले ,जहां कुपोषण एक चुनौती है में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ।छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून में राज्य की छात्रावासो एवं आश्रम शालाओं के विद्यार्थियों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।
- **महिलाओं को मुखिया बनाना_** इस अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के उद्देश्य से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है, जो अनुसूचित जनजातीय समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है ।

3. कार्यान्वयन और निगरानी _ नारायणपुर जिले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इस अधिनियम के क्रियोओ के जिम्मेदार है_

- **शिकायत निवारण_** अधिनियम में शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान है ,जिसके तहत जिला शिकायत निवारण अधिकारी के माध्यम से ही हितग्राहियों की निपटारा किया जाता है ।
- **पारदर्शिता_** उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाब दे ही सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड का प्रकटन और सामाजिक अंकेक्षण करने का प्रावधान है ।
- नारायणपुर जिले में इस अधिनियम ने अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अधिकार आधारित दृष्टि को स्थापित करके ,खाद्य सुरक्षा को एक कल्याणकारी योजना से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया है ।

अनुसूचित जनजाति में खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रमुख विशेषताएं:

1. **खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार –** पात्र परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है।
2. **रियायती दर पर खाद्यान्न –** प्राथमिकता परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम तथा अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
3. **दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों को प्राथमिकता –** अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से खाद्यान्न की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रावधान है।
4. **महिलाओं और बच्चों का पोषण –** गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, तथा 6 माह से 14 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन एवं पोषण सहायता का अधिकार दिया गया है।
5. **महिला सशक्तिकरण –** राशन कार्ड में परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार का मुखिया माना जाता है।
6. **पारदर्शिता एवं जवाबदेही –** शिकायत निवारण तंत्र, राज्य खाद्य आयोग तथा सतर्कता समितियों का प्रावधान किया गया है ताकि लाभार्थियों को समय पर अधिकार मिल सकें।
7. **भोजन के साथ पोषण पर बल –** अधिनियम केवल अनाज वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण संबंधी उपायों को भी प्रोत्साहित करता है।

8. **सामाजिक न्याय** – आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों, को खाद्य असुरक्षा से बचाने और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने का उद्देश्य है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के प्रमुख उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजातियों में खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के जानकारी को लोगों में जागरूकता करना ।
2. अनुसूचित जनजातियों में खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत मिलने वाले खाद्य सामग्री गेहूं ,चावल ,शक्कर , गुड, केरोसिन का उचित एवं नियमित आपूर्ति का अध्ययन करना ।
3. अनुसूचित जनजाति में खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 , के सरकारी नीतियों और योजनाओं का वर्णन करना ।

परिकल्पना-

1. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, लागू होने से ग्रामीण लोगों की पलायन में कमी आयी है ।
2. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, मे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका है ।
3. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 से निर्धनता में कमी तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ है ।
4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में महिला सशक्तिकरण एवं घरेलू हिंसा को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ।
5. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, से लोगों के कुपोषण में कमी आयी है ।

अध्ययन पद्धति_ प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा और पोषण अधिनियम 2012 की स्थिति का अध्ययन है यह अध्ययन छत्तीसगढ़ की नारायणपुर जिले पर आधारित है ,प्रस्तुत शोध मूलतः द्वितीय समनकों पर आधारित अध्ययन है ।

तथ्यों का संकलन_ प्रस्तुत अध्ययन पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा संकलित एवं मुद्रित सामग्रियों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग, नारायणपुर विभिन्न समाचार, पत्र _पत्रिकाओं ,शोध पत्रों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों आदि का प्रयोग किया गया है ।

तालिका क्रमांक 1.1 :
नारायणपुर जिले में पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न संचालित दुकानों की जानकारी(2025_26)

क्र.	**संचालन एजेंसी**	**दुकानों की संख्या**	**प्रतिशत (%)**
1	सहकारी समिति	10	8.8
2	महिला स्व-सहायता समूह	12	10.5
3	ग्राम पंचायत समिति	81	71.1
4	अन्य	10	8.8
5	वन	1	0.9
कुल	—	**114**	**100.0**

स्रोत -खाद्य विभाग, नारायणपुर.

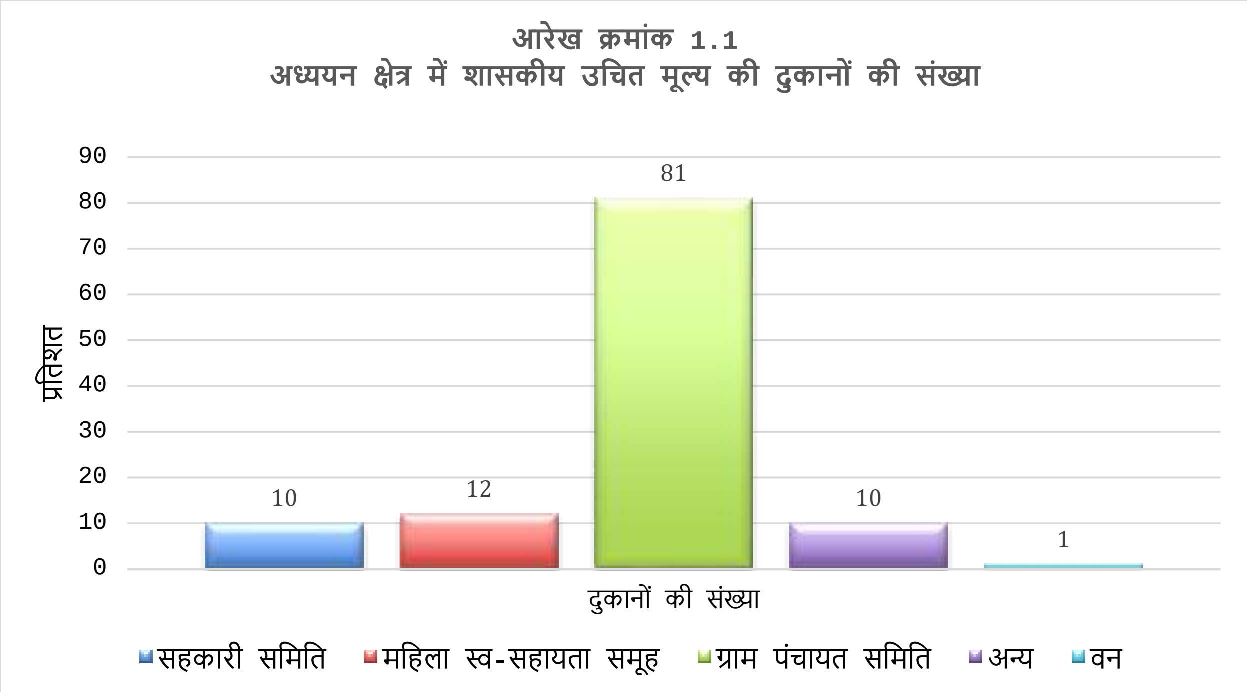

तालिका का स्पष्टीकरण -

उपरोक्त तालिका 1.1 व आरेख क्रमांक 1.1 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में कुल 114 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। इनमें सर्वाधिक 81 (71.1%) दुकानें ग्राम पंचायत समिति द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके बाद महिला स्व-सहायता समूह द्वारा 12 (10.5%) दुकानें संचालित हैं। सहकारी समिति तथा अन्य श्रेणी के अंतर्गत 10-10 (8.8%) दुकानें संचालित हैं, जबकि वन विभाग द्वारा केवल 1 (0.9%) दुकान संचालित की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में उचित मूल्य दुकानों के संचालन में ग्राम पंचायत समितियों की प्रमुख भूमिका है।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की अंतर्गत जातिवार राशन कार्ड की जानकारी

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत जिलों में शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र की राशन कार्डों की संख्या अधिक है ।जो की तालिका 1.2 से स्पष्ट है -

तालिका क्रमांक 1.2
जातिवार राशन कार्डों की संख्या

क्र.	जाति	शहरी	ग्रामीण	योग
1	अनुसूचित जाति	471	1,204	1,675
2	अनुसूचित जनजाति	2,781	27,697	30,478
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	1,714	3,640	5,354
4	सामान्य	1,308	356	1,664

योग	—	**6,274**	**32,897**	**39,171**

स्रोत -खाद्य विभाग, नारायणपुर (2025-26).

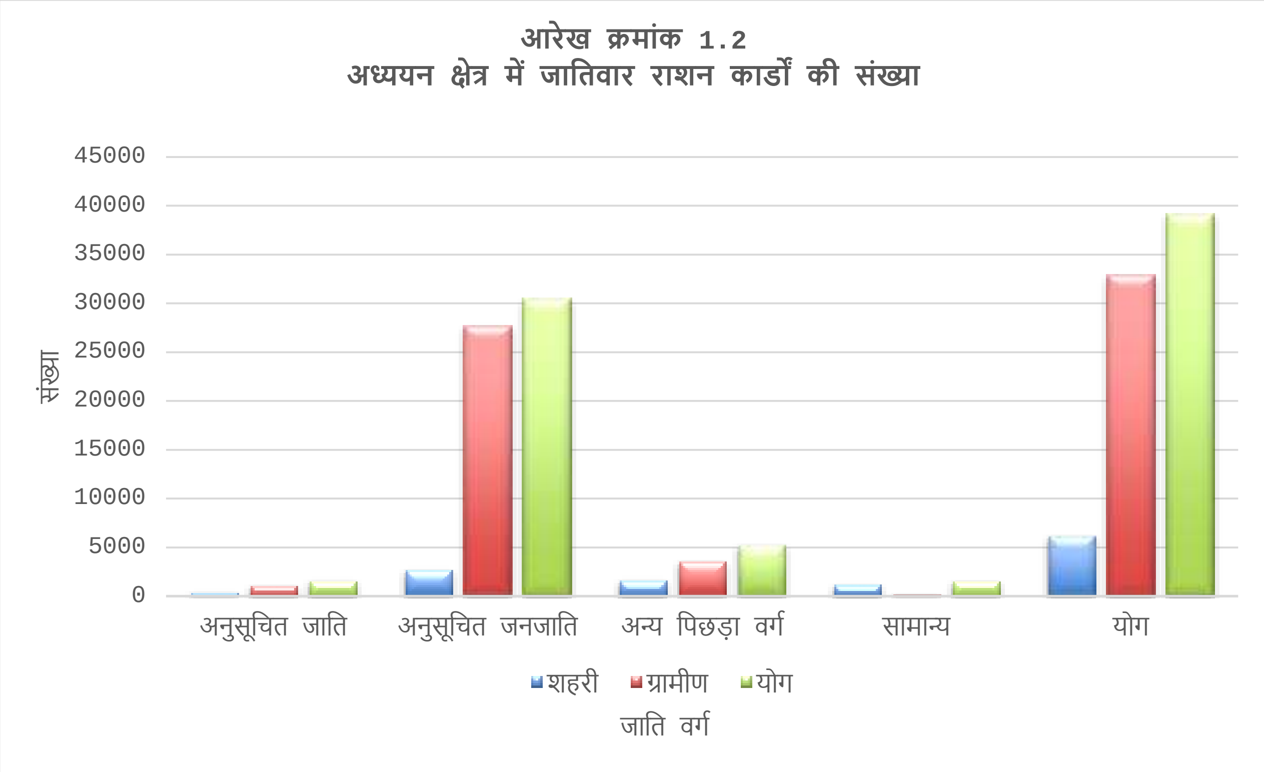

तालिका का स्पष्टीकरण-

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1.2 व आरेख क्रमांक 1.2 से अध्ययन क्षेत्र की जातिवार शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का विवरण प्राप्त होता है। अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 39,171 है, जिसमें 6,274 व्यक्ति शहरी क्षेत्रों तथा 32,897 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

जातिवार विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक 30,478 (लगभग 77.8 प्रतिशत) है, जिसमें 2,781 व्यक्ति शहरी तथा 27,697 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मुख्यतः जनजातीय बहुल क्षेत्र है।

अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या 5,354 (लगभग 13.7 प्रतिशत) है, जिसमें 1,714 शहरी तथा 3,640 ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,675 (लगभग 4.3 प्रतिशत) है, जिनमें 471 शहरी तथा 1,204 ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। वहीं सामान्य वर्ग की कुल जनसंख्या 1,664 (लगभग 4.2 प्रतिशत) है, जिसमें 1,308 शहरी तथा 356 ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं।

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 उपलब्ध खाद्य पदार्थों के किस्म एवं मात्रा तथा मूल्य_ वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना के अंतर्गत एवं राज्य शासन के निर्णय अनुसार प्राथमिकता ,अंत्योदय , एकल निराश्रित एवं नि:शक्तजन राशन कार्डों पर नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है ।चने की पात्रता राज्य की अनुसूचित क्षेत्रों में एवं माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय ,एवं प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारी परिवारों

को है ।उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 प्रति किलो ग्राम की दर से एक किलोग्राम शक्कर की पात्रता है ।बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारिओ को प्रतिमाह 02 किलो गुड 17 प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय किया जा रहा है । अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्ड धारी को केरोसिन की पात्रता है ।

अनुसूचित जनजाति में खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012, योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं दर (किलोग्राम में)

तालिका 1.3

क्र.	हितग्राही श्रेणी	सामग्री	मात्रा	दर
1	**अंत्योदय परिवार**	चावल	35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह	1 प्रति किलोग्राम
		चना	2 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह	5 प्रति किलोग्राम
		रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र – 2 किलोग्राम प्रति परिवार; गैर-अनुसूचित क्षेत्र – 1 किलोग्राम प्रति परिवार	निःशुल्क
2	**प्राथमिकता परिवार**	चावल	1 सदस्य – 10 किग्रा/माह; 2 सदस्य – 20 किग्रा/माह; 3–5 सदस्य – 35 किग्रा/माह; 5 से अधिक सदस्य – 7 किग्रा प्रति सदस्य प्रति माह	1 प्रति किलोग्राम
		चना	2 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह	5 प्रति किलोग्राम
		रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक	अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र – 2 किलोग्राम प्रति परिवार; गैर-अनुसूचित क्षेत्र – 1 किलोग्राम प्रति परिवार	निःशुल्क
3	**एकल निराश्रित**	चावल	10 किलोग्राम प्रति माह	निःशुल्क
4	**नि:शक्तजन**	चावल	10 किलोग्राम प्रति माह	निःशुल्क
5	**सामान्य परिवार**	चावल	1 सदस्य – 10 किग्रा/माह; 2 सदस्य – 20 किग्रा/माह; 3–5 सदस्य – 35 किग्रा/माह	10 प्रति किलोग्राम

स्रोत -खाद्य विभाग, नारायणपुर (2025-26)

तालिका का स्पष्टीकरण- उपरोक्त तालिका 1.३ से स्पष्ट होता है कि योजना अंतर्गत खाद्यान्न की पात्रता एवं उपभोक्ता दर नारायणपुर जिले में ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के परिवारों को उनकी

सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर अलग-अलग मात्रा में खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ रियायती अथवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

1. अंत्योदय परिवार को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इन्हें प्रति माह 35 किलोग्राम चावल 1 प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 किलोग्राम चना 5 प्रति किलोग्राम की दर से तथा अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों में 2 किलोग्राम (गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलोग्राम) आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
2. प्राथमिकता परिवारों को भी सदस्य संख्या के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। एक सदस्य वाले परिवार को 10 किलोग्राम, दो सदस्य वाले को 20 किलोग्राम, तीन से पाँच सदस्य वाले परिवार को 35 किलोग्राम तथा पाँच से अधिक सदस्यों वाले परिवार को प्रति सदस्य 7 किलोग्राम चावल 1 प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। साथ ही 2 किलोग्राम चना 5 प्रति किलोग्राम तथा अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों में 2 किलोग्राम (गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलोग्राम) आयोडीन युक्त नमक निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
3. एकल निराश्रित परिवारों को प्रति माह 10 किलोग्राम चावल पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनके न्यूनतम खाद्य सुरक्षा स्तर को सुनिश्चित किया जा सके।
4. निःशक्तजन परिवारों को भी प्रति माह 10 किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया जाता है। यह व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा एवं कमजोर वर्गों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
5. सामान्य परिवारों को सदस्य संख्या के आधार पर 10 से 35 किलोग्राम तक चावल उपलब्ध कराया जाता है, किंतु इनके लिए उपभोक्ता दर 10 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है, जो अन्य प्राथमिकता श्रेणियों की तुलना में अधिक है।

निष्कर्ष- तालिका से स्पष्ट होता है कि योजना का उद्देश्य गरीब, अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित तथा निःशक्तजन परिवारों को सस्ती अथवा निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराकर उनकी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्रों के परिवारों को अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान कर क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताओं को कम करने का भी प्रयास किया गया है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा:

1.मोदी .के . एन.(2008)_ने "खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम में" लिखा है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी बनाकर खाद्य सुरक्षा अधिक की जा सकती है |सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सफल व प्रभावी कदम उठाने जाना निरंतर आवश्यक है |वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व के समक्ष खाद्य संकट ने विकराल व भीषण समस्या का रूप धारण कर लिया है | विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट संकेत दिया है ,कि अगर 3 वर्षों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 83% की वृद्धि दर्ज की है ,जिसके कारण खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है |इस विकट समस्या के समाधान हेतु विश्व की समस्त देश विविध प्रकार की नीतियों को क्रियान्वित करते हुए अपने देश की नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान करने हेतु सशक्त प्रयासरत है |

2. रावत, गजेंद्र कुमार (2012)_ ने "खाद्य सुरक्षा और सरकारी प्रयास" में बताया है ,कि सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, डीजल सब्सिडी योजना आदि इसके अतिरिक्त कार्य के बदले अनाज योजना के माध्यम से गरीबों को राहत देने का प्रयास किया गया, फिर भी उम्मीदवारों के अनुरूप सुधार नहीं हुआ जिसका मुख्य कारण यहां है कि इन योजनाओं में कुछ कमियां विद्वान थी जिससे सरकार अवगत नहीं थी परिणाम स्वरुप खाद्यान्न घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव हुआ |आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे

प्रमुख चुनौतियों में से एक है |स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था "जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो ,उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है |"

3. कुमार गौरव (2013)_ ने "भारत में खाद्य सुरक्षा" में लिखा है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बल को 22 दिसंबर 2011 को उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के .वी .थॉमस ने लोकसभा में पेश किया था | लंबे गतिरोध के बाद अनंतत: 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया गया |

4. परमेश्वर लाल पोद्दार (2023_24)_ने "खाद्य और पोषण सुरक्षा" में लिखा है ,कि आजादी के बाद से ही खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ इस बात पर भी विशेष जोड़ दिया गया है कि देश की अंतिम छोर पर स्थित लोगों तक खाद्यान्न समय पर पहुंचा जा सके |खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को लेकर सरकार हमेशा से गंभीर रही है और समय-समय पर विशेष योजनाओं व वार्षिक बजटीय प्रावधान के द्वारा समाज के सभी वर्गों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है | खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट 2023 -24 के इस वक्तव्य से समझाया जा सकता है "कोविड-19 महामारी के दौरान हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीना के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा ना सोए |खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना (पीएमजीकेएवाई)के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को अगले वर्ष के लिए मुक्त खाद्यान्न आपूर्ति करने की योजना लागू कर रहे हैं | "बजट 2023 -24 में एक बार फिर से देश में भुखमरी और कुपोषण की समस्या को समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है |बजट में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे भारत में खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी |बजट में न केवल खाद्यान्न की उपलब्धता को बढ़ाने पर विशेष जोड़ दिया गया है बल्कि इस पर भी ध्यान दिया गया है कि पोषण युक्त भोजन समाज के हर वर्ग व आयु के लोगों की पहुंच के अंदर हो |महिलाओं , किशोरियों व शिशुओं के पोषण हेतु इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं |

5. डॉ. तान्या शेषाद्रि (2025)- ने " सही पोषण से सवेरे का आदिवासी बच्चों का भविष्य" मैं लिखा है कि "खाद्य सब्सिडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पर निर्भरता: पीडीएस से मिलने वाले चावल या गेहूं के राशन ,जो अक्सर सस्ते और अधिक संसाधित होते हैं ,ने बाजरा और अधिक पौष्टिक बहू _आहार विकल्पों और बहू स्रोत आदिवासी खाद्य पदार्थों की जगह ले ली है | जैसे की सुचिता झा ने स्कॉल में मध्य प्रदेश के आदिवासी परिवार बाजरा उपलब्ध होने पर भी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मुक्त में उपलब्ध चावल को प्राथमिकता देते हैं |"

निष्कर्ष:

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। नारायणपुर जिला, जहाँ अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, वहाँ इस अधिनियम के माध्यम से पात्र परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी सेवाओं, मध्यान्ह भोजन योजना तथा मातृ एवं शिशु पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार का प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि अधिनियम के लागू होने के बाद खाद्यान्न की उपलब्धता और पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा अनेक गरीब जनजातीय परिवारों को खाद्य असुरक्षा से राहत मिली है। फिर भी दुर्गम भौगोलिक स्थिति, परिवहन की समस्याएँ, जागरूकता का अभाव, वितरण प्रणाली में अनियमितता, आधार एवं राशन कार्ड से

संबंधित तकनीकी समस्याएँ तथा कुपोषण जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। इन कारणों से अधिनियम के अपेक्षित लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहे हैं।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि केवल खाद्यान्न उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पोषण संबंधी जागरूकता तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना आवश्यक है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय खाद्य परंपराओं और आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने की दिशा में भी कार्य किया जाना चाहिए।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर एवं खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित निगरानी, पारदर्शी वितरण व्यवस्था तथा जन-जागरूकता के माध्यम से इसके उद्देश्यों को और अधिक सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इससे अनुसूचित जनजातियों के स्वास्थ्य, पोषण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास में दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन संभव होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. मोदी .के . एन.(2008) में “खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम” कुरुक्षेत्र पृष्ठ नंबर 8 _12 सितंबर
2. रावत गजेंद्र कुमार (2012) में “खाद्य सुरक्षा और सरकारी प्रयास” कुरुक्षेत्र पृष्ठ नंबर 18 _22 मार्च 2012
3. गौरव कुमार (2013) ने “भारत में खाद्य सुरक्षा” कुरुक्षेत्र पृष्ठ नंबर 14 _18 नवंबर 2013
4. डा.तान्या शेषाद्री (2025) ने “सही पोषण से सवेरे का आदिवासी बच्चों का भविष्य” में पेज नंबर 19_20 कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2025
5. परमेश्वर लाल पोद्दार (2023 _24) ने “खाद्य और पोषण सुरक्षा” कुरुक्षेत्र पेज नंबर 14 से 18
6. शारदावर्मा.eta |IntjsciRes&Techna |.may_june_2022,9(3):769_803.
7. आर्थिक सर्वेक्षण 2024 _25 पेज नंबर 53 से 58 .
8. सांख्यिकी रिपोर्ट ,खाद्य विभाग, नारायणपुर
9. cg.khadya.nic.in/chhattisgarhkhadya.cg.nic.in
10. छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 संशोधित 2019. Cg Khadya suraksha act.cg food security act 2012.